संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2018/277 भोपाल, दिनांक 23-03-2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म.प्र.
समस्त सिविल सर्जन–सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.

विषय:– अलिपिकीय सेवा भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु उपरांत सेवानिवृत्त की गई ए.एन.एम./एल.एच.व्ही.के पेंशन निर्धारण बाबत।

संदर्भ:– राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ 20–1/2018/17/मेडि–1 दिनांक 07.03.2018.

विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित आदेशानुसार मंत्रि–परिषद् के निर्णय दिनांक 09 जनवरी 2018 के परिपालन में 913 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं 513 महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) जो कि दिनांक 31.08.2016 को 60 वर्ष से अधिक आयु की होकर इस दिनांक तक शासकीय सेवा में रही है, उनकी वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर तथा अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

अतः शासनादेश के अनुक्रम में उक्त अवधि में सेवानिवृत्त ए.एन.एम. एवं एल.एच.व्ही. के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही नियमानुसार एक सप्ताह में पूर्ण कर ई–मेल **sthapnaanm@gmail.com** पर की गई कार्यवाही की जानकारी अनिवार्य रूप से भेजे।

संलग्नः– शासनादेश

(डॉ0 जे.एल.मिश्रा)
संचालक (परिवार कल्याण)

पृ0 क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनलाय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय।

संचालक (परिवार कल्याण)